निर्णय बइजलास शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 36/2019 प्रा. पत्र **निर्णय दिनांक :– 11.12.2019**

अनवान

1. श्री भंवर लाल पिता नारायण जी जाति खटीक आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम वेणाखेडा तहसील देवगढ़
2. लहरी पुत्री नारायण पत्नि रतु जाति खटीक आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम वेणाखेडा तहसील देवगढ
3. नेनु पुत्री नारायण पत्नि रामलाल जाति खटीक आयु 42 वर्ष निवासी वेणाखेडा तहसील देवगढ़ सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द
4. बदामी पुत्री नारायण पत्नि भगवतीलाल जाति खटीक आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम वेणाखेडा हाल निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहन पिता खुमाण जाति खटीक आयु बालिग निवासी ग्राम वेणाखेडा तहसील देवगढ़
2. श्री गिरधारी पिता भैरा जाति खटीक आयु बालिग निवासी ग्राम वेणाखेडा तहसील देवगढ़

———विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 ले0रे0 एक्ट

उपस्थित वकील :– श्री लुम्बसिंह

–:: निर्णय ::–

प्राथी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्राप्त हुआ कि प्रार्थी भूमि ग्राम वेणाखेडा पटवार मण्डल मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की सीमा में होकर वाके है जिसके आ0नं0 चालू जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 खाता सं0 105, आ0नं0 126 रकबा 1.13 बीघा है। उक्त वर्णित भूमियो की प्रार्थी ने अभी तक पत्थरगढी नही कराई है। प्रार्थी की इस प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमियो की अबतक पत्थरगढी नही कराने से प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच फसल बोते समय फसल व घास काटते समय सीमा संबंधी विवाद होता रहता है। इसलिये उक्त वर्णित भूमियो की पत्थरगढी कराना प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है। प्रार्थी अपनी इन भूमियो की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में विपक्षीगण को सम्मन तामील हो जाने पर भी कोई जवाब पेश नही किया बल्की बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर विपक्षीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई है। ग्राम वेणाखेडा तहसील देवगढ की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 में प्राथी उक्त भूमि का खातेदार है। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम वेणाखेडा पटवार मण्डल मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की सीमा में होकर वाके है जिसके आ0नं0 चालू जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 खाता सं0 105, आ0नं0 126 रकबा 1.13 बीघा भूमि है की पत्थरगढी कराने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये जाकर उनकी उपस्थिती मे मौके पर पत्थरगढी कर रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। तहसीलदार देवगढ नियमानुसार प्रार्थी से पत्थरगढी शुल्क वसूल करे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़